

कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक 509 / अभि0अनु0 / गो0वि0प्रा0 / 2025-26 दिनांक 25/8/2025

नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से खोराबार आवासीय योजना में खड़े विभिन्न प्रजातियों के 189 वृक्षों की एक साथ जहां है, जैसे है कि स्थिति में सामान्य नीलामी सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे प्राधिकरण सभागार में सम्पादित किया जायेगा। नीलामी खुली बोली पद्धति से की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0-6,07,200/- की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0-6,07,200/- नगद/बैंक ड्राफ्ट प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट "www.gdagkp.in" पर उपलब्ध है, से प्राप्त की जायेगी तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।


अधीक्षक अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

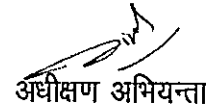
नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार आवासीय योजना में खड़े विभिन्न प्रजातियों के 189 वृक्षों की एक साथ जहां है, जैसे है की स्थिति के तहत सामान्य नीलामी सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे प्राधिकरण सभागार में सम्पादित किया जायेगा। नीलामी खुली बोली पद्धति से की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 6,07,200/- की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0-6,07,200/- नकद/बैंक ड्राफ्ट से विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट “www.gdagkp.in” पर उपलब्ध है, से प्राप्त की जायेगी तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकेगी। आरक्षित मूल्य का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र0	प्रजाति	वृक्ष संख्या	न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1	सागौन हरा/खड़ा	178	5,85,867.00
2	शीशम हरा खड़ा	11	21,333.00
	योग	189	रू0-6,07,200/-

नीलामी की शर्तें:-

1. नीलामी दिनांक 09.09.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय सभागार में सम्पन्न होगी।
2. पेड़ जहां है, जैसी हालत में है, की नीलामी की जायेगी।
3. नीलामी खुली बोली पद्धति से की जायेगी।
4. पेड़ों की नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व जमानत के तौर पर दिये गये विवरण के अनुसार नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय में धनराशि जमा करना होगा।
5. नीलामी सम्पन्न होते ही बोली गयी उच्चतम बोली के 1/4 के बराबर धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
6. नीलामी की सर्वोच्च बोली की स्वीकृति प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर नीलामी की शेष समस्त धनराशि प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित है।
8. पेड़ों को नीलामी स्थल से ले जाने का समस्त व्यय क्रेता का होगा।
9. नीलामी के उपरान्त स्वीकृत उच्चतम बोली पर नियमानुसार सभी करों इत्यादि की देयता सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा देय होगी।


अधीक्षण अभियन्ता

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।